

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2017/रास/यू.-19. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

- | | | | |
|----|--|---|--------------------|
| 1. | डॉ. शैलेन्द्र सराफ,
प्रोफेसर,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर एवं पूर्व कुलपति, हेमचंद्र
यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग | प्रायोजक निकाय
(ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय) द्वारा
नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद | - समिति
अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. एस. पी. सिंह,
प्रोफेसर,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की | प्रायोजक निकाय
(ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय) द्वारा
नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद | - समिति
सदस्य |
| 3. | डॉ. आर. एन. सिंह,
प्राचार्य,
शासकीय वी. वाय. टी. पी. जी.
महाविद्यालय, दुर्ग | उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन द्वारा
नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति | - समिति
सदस्य |
2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. शैलेन्द्र सराफ को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की समय अवधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पैनल) माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.